



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6-महात्मा गांधी मार्ग, इजरतगंज, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2614470, 2614471, 2616465

पुरस्कार योजना

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा वर्ष-2021 के दिये जाने वाले सम्मानों यथा- भारत-भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिन्दी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पं० दीन दयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, अवंती बाई साहित्य सम्मान, अटल बिहारी बाजपेयी साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण, लोक भूषण, कला भूषण, विद्या भूषण, विज्ञान भूषण, पत्रकारिता भूषण, प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण, बाल साहित्य भारती सम्मान, सौहार्द सम्मान, हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान, विश्वविद्यालयस्तरीय सम्मान, मधुलिमये साहित्य सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान, विधि भूषण सम्मान तथा पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान के लिए साहित्यकारों/साहित्यिक संस्थाओं से संस्तुतियों आमंत्रित हैं। संस्तुति प्रपत्र के साथ संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित तथा जिसके नाम की संस्तुति की जा रही है उसका जीवनवृत्त सम्पर्क सूत्र/दूरभाष संख्या सहित संस्तुति प्रपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

(संस्तुति-प्रपत्र - वर्ष 2021)

सम्मान का नाम जिसके लिए संस्तुति की जा रही है :

1. साहित्यकार का नाम :
2. जन्म तिथि :
3. जन्म स्थान :
4. प्रकाशित कृतियों की संख्या : लेखन की विधा.....
5. पूर्व में प्राप्त पुरस्कार / सम्मान आदि का विवरण :
6. अन्य साहित्यिक उपलब्धियाँ :
7. सम्पर्क सूत्र (दूरभाष सहित) :

● संस्तुतिकर्ता का स्पष्ट नाम व पता दूरभाष सहित :

(संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर)

नोट : ● एक संस्तुति प्रपत्र पर किसी एक साहित्यकार के नाम की संस्तुति ही मान्य होगी।

- सौहार्द सम्मान की संस्तुति पर सम्बन्धित भाषा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

केवल 'राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान' हेतु

(अहिन्दी भाषी प्रान्तों/विदेशों में विगत 10 वर्षों से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में रत संस्थाओं हेतु)

(संस्तुति-प्रपत्र - वर्ष 2021)

1. संस्था का नाम :
(जिसके लिए संस्तुति की जा रही है)
2. संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं, यदि है तो पंजीकरण संख्या :
3. संस्था का स्वरूप (सरकारी/गैर सरकारी) :
4. संस्था का कार्यक्षेत्र :
5. संस्था का पूरा पता :
6. (फोन नम्बर व ई-मेल सहित) :
7. स्थापना वर्ष :
8. विगत 10 वर्षों में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण-संलग्न है/नहीं :
9. वर्तमान में संस्था के सचिव/अध्यक्ष का नाम व पूरा पता दूरभाष सहित :
10. अन्य विवरण यदि कोई हो तो :

(संस्तुतिकर्ता के हस्ताक्षर)

पता दूरभाष सहित

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 38 विधाओं पर वर्ष 2021 में प्रकाशित हिन्दी की मौलिक पुस्तकें पुरस्कार हेतु आमंत्रित की जाती हैं :-

1. महाकाव्य 2. खण्डकाव्य 3. कविता 4. गीत/मुक्तक 5. गजल 6. निबन्ध 7. नाटक 8. उपन्यास 9. कहानी 10. आलोचना 11. यात्रा-वृत्तान्त/संस्मरण/रेखाचित्र/डायरी 12. आत्मकथा/जीवनी 13. व्यंग्य 14. अवधी 15. ब्रजभाषा 16. भोजपुरी 17. बुन्देली 18. बाल साहित्य 19. राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक समन्वय सम्बन्धी साहित्य 20. साहित्यकारों द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनूदित कृति पर 21. पत्रकारिता 22. मासिक/द्वैमासिक/त्रैमासिक पत्रिकाओं पर 23. धर्म/दर्शन 24. संस्कृति 25. लोक साहित्य विवेचन 26. ललित कला/संगीत

27. शिक्षा 28. प्रविष्टि/टेक्नोलॉजी 29. गणित/भौतिकी/रसायन 30. वनस्पति/प्राणिशास्त्र 31. चिकित्सा विज्ञान (एलोपैथी/आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) 32. इतिहास 33. राजनीति 34. अर्थशास्त्र 35. विधि तथा विधिशास्त्र 36. भाषा/भाषा विज्ञान 37. युवा लेखन (35 वर्ष तक के लेखकों हेतु) 38. समस्त विधाओं में केवल महिला साहित्यकारों की कृति पर। (क) सभी विधाओं की श्रेष्ठतम पुस्तकों/प्रविष्टियों पर पचहत्तर-पचहत्तर हजार रुपये के नामित पुरस्कार देय होंगे। (ख) मूल्यांकन में द्वितीय स्थान पाने वाली पुस्तकों/प्रविष्टियों पर चालीस-चालीस हजार रुपये के सर्जना पुरस्कार दिये जायेंगे। (ग) युवा-लेखन पुरस्कार हेतु पुस्तक/प्रविष्टि के साथ जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। (घ) शोध प्रबन्ध और पाठ्य पुस्तकें पुरस्कार हेतु स्वीकार्य नहीं होंगी। (च) विभिन्न खण्डों में विभाजित कृति का अपूर्ण खण्ड पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होगा। वर्ष विशेष में सभी खण्ड मुद्रित होने चाहिए। (छ) किसी एक लेखक को एक विधा में केवल एक बार तथा सभी विधाओं में केवल दो बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। (ज) किसी एक पत्रिका को एक बार से अधिक पुरस्कृत नहीं किया जायेगा। पत्रिका पर दिये जाने वाला पुरस्कार केवल पत्रिका को दिया जायेगा। (झ) पुस्तकों पर देय पुरस्कारों के रचनाकारों को जन्म-स्थान, उत्तर प्रदेश है अथवा पिछले 10 वर्षों से निवास का प्रमाण देना अनिवार्य होगा। (ट) संस्थान के विशिष्ट सम्मानों से समादृत हो चुके साहित्यकारों की पुस्तक पर पुरस्कार अनुमत्य नहीं होगा। (ठ) पुस्तक के पाठ्य भाग की पृष्ठ संख्या न्यूनतम 60 पृष्ठ होनी अनिवार्य है (बाल साहित्य विधा को छोड़कर)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मानों हेतु भी पुस्तकें आमंत्रित हैं:-

- पं० बदीप्रसाद शिंगलू स्मृति सम्मान - वर्ष 2021 में प्रकाशित महिला रचनाकार की कथाकृति पर (आयु सीमा 35 से 60 वर्ष के मध्य, आयु प्रमाण पत्र वांछित)। यह सम्मान किसी कृतिकार को एक बार से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। इस सम्मान की धनराशि रु. 8,000=00 (रुपये आठ हजार) मात्र होगी। इस विज्ञापन में इसे आगे शिंगलू स्मृति सम्मान कहा जायेगा।

- हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान - यह सम्मान राष्ट्रीय स्तर का होगा तथा हिन्दीभाषा में लिखित पुस्तक पर देय होगा। यह सम्मान गीत/मुक्तक/हिन्दी गजल/छन्दबद्ध कविता विधा में वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तक पर प्रदान किया जायेगा। कृतिकार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यह सम्मान किसी कृतिकार को एक बार से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा। इस सम्मान की धनराशि रु. 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार) मात्र होगी। आयु प्रमाण-पत्र वांछित है, जिसे नीचे अंकित प्रारूप के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। इस विज्ञापन में इसे आगे युवा गीतकार सम्मान कहा जायेगा।

उक्त समस्त पुरस्कारों के लिए यह आवश्यक होगा :- (i) पुस्तक का प्रथम संस्करण पुरस्कार के लिए विचारणीय होगा। (ii) पुरस्कार (युवा गीतकार सम्मान को छोड़कर) केवल उन कृतिकारों को दिया जायेगा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है या वे उत्तर प्रदेश में कम से कम पिछले दस वर्षों से लगातार निवास कर रहे हों। (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) (iii) पुस्तकें/प्रविष्टियाँ वापस नहीं होंगी। (iv) किसी विधा में पुस्तक/प्रविष्टि स्तरीय नहीं पायी गयी तो पुरस्कार नहीं दिया जायेगा। (v) पुरस्कारार्थ पुस्तकों/प्रविष्टियों को चार-चार प्रतियों में तथा पत्रिकाओं की वर्ष 2021 में प्रकाशित सभी अंकों की 4-4 प्रतियाँ प्रविष्टि के साथ भेजना अनिवार्य है, जिन पर निम्नांकित सूचनाएँ अनिवार्य रूप से अंकित की जायेंगी :-

1. पुस्तक/पत्रिका का नाम.....
2. लेखक/पत्रिका सम्पादक का नाम.....
3. लेखक की जन्म तिथि.....
4. जन्म स्थान.....
5. लेखक/पत्रिका सम्पादक का पता.....
6. उत्तर प्रदेश में जन्म लेने या यहाँ पिछले दस वर्ष से लगातार रहने का प्रमाण-पत्र संलग्न करने का उल्लेख (युवा गीतकार सम्मान पर लागू नहीं)..... हँ/नहीं.....
7. पुस्तक की विधा संख्या (विज्ञापन के अनुसार).....
8. पुस्तक की विधा का नाम (विज्ञापन के अनुसार).....
9. प्रकाशन वर्ष.....
(पुस्तक पर 'प्रथम संस्करण 2021' मुद्रित होना अनिवार्य है।)
10. प्रकाशक का नाम और पता.....

प्रमाण-पत्र

- (1) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा रचित..... शीर्षक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रथम बार सन्..... में प्रकाशित हुआ है।
- (2) सम्बन्धित पुस्तक का 60 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पुस्तक के रूप में इससे पूर्व प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक शोध प्रबन्ध नहीं है एवं न ही पाठ्य पुस्तक है।
दिनांक..... लेखक/सम्पादक के हस्ताक्षर..... पूरा पता.....

- पुस्तक/पत्रिका की चारों प्रतियों पर वांछित सूचनायें संलग्न करना अनिवार्य है।
 - उक्त समस्त सम्मान/पुरस्कार संस्थान द्वारा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये जायेंगे जिन पर संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा तथा उस पर किसी प्रकार की आपत्ति अस्वीकार्य होगी।
- उपर्युक्त सम्मानों हेतु संस्तुतियाँ एवं पुस्तक/प्रविष्टि सहित पुस्तकें "पुरस्कार सम्बन्धी" शीर्षक से निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, 6-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001 को भेजी जायेंगी, जिसकी अन्तिम तिथि 23/05/2022 है।

पवन कुमार आई.ए.एस.

निदेशक

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान पुरस्कार नियमावली-1997 (यथासंशोधित-2022), संस्तुति प्रपत्र तथा पुरस्कारों से सम्बन्धित अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.uphindisansthan.in पर उपलब्ध है और उसमें उपर्युक्त निर्धारित प्रपत्र भी उपलब्ध है, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। सम्मानों की संस्तुतियाँ संस्थान की ई-मेल directoruphindi@yahoo.in पर भी निर्धारित तिथि के भीतर भेजी जा सकती हैं, जिते संस्तुतिकर्ता को डाक द्वारा मूल रूप में हस्ताक्षर सहित संस्थान को भेजनी होगी।